FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0073 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/03/2026 16:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/10/2022 **Date To (दिनांक तक):** 05/10/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/03/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/03/2026 16:12:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAIPUR VIDYUT VITARAN NIGIAM, LTD. JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIJENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHEMCHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	803,G1, AJMER ROAD, RANISATI NAGAR, JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	803,G1, AJMER ROAD, RANISATI NAGAR, JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNIWAS KUMAWAT		पिता:B.L. KUMAWAT	1. 72/20,PATEL MARG,MANSAROVAR,JAIPUR CITY
2	ANIL GUPATA AND OTHERS		पिता:PARNVEER PARSAD GUPATA	1. 70,MOHAN NAGAR,KASTURBA NAGAR,R,NIRAMAN NAGAR,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार है कि ब्यूरो से प्राप्त शिकायत आर. नं. 62 दिनांक 02.01.2024 का सत्यापन किया जाकर प्राथमिक जांच संख्या 21/2025 दर्ज करवाई गई। उक्त प्राथमिक जांच की पत्रावली/रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया एवं अधीक्षण अभियन्ता (TW), अधिशाषी अभियन्ता (RDSS) एवं अधिशाषी अभियन्ता (SPO-iv) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., पुराना पॉवर हाउस बनीपार्क, जयपुर से जांच की जाकर बयान लेखबद्ध किये गये। प्राथमिक जांच की पत्रावली/रिकार्ड के गहन अवलोकन एवं जांच से स्थिति निम्न प्रकार पाई गई। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा दिनांक 21.10.2022 को राजस्थान के टोंक एवं बून्दी जिले में डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई, इरेक्शन, इंस्टालेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग के कार्य के लिए टेण्डर संख्या 534 बून्दी एवं 535 टोंक के लिए आमंत्रित की गई। टेण्डर संख्या 534 में 4 फर्मो ने भाग लिया था तथा टेण्डर संख्या 535 में 6 फर्मो ने भाग लिया था। जिसकी तकनीकी बिड (बोली) दिनांक 21.12.2022 को खोली गई। इसी दौरान उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 के खिलाफ विभाग को एक मेल प्राप्त हुआ। जिसमें उक्त फर्म द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है वे फर्जी है। इसकी जांच के लिए विभाग द्वारा मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंन्स इण्डिया लि0 दिल्ली (टीसीआईएल) को पत्र लिखा गया तथा जरिये मेल भी उक्त फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए लिखा गया। जिसके सन्दर्भ में टीसीआईएल दिल्ली ने दिनांक 25.01.2023 को अपने पत्र से सूचित किया कि फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 द्वारा प्रस्तुत कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस पर विभाग द्वारा दिनांक 08.02.2023 को सीएलपीसी कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी की मिटिंग जिसमें प्रबन्ध निदेशक जेवीवीएनएल, निदेशक वित्त, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन एवं अति0 मुख्य अभियन्ता (PPM) सदस्य थे। उक्त मिटिंग में उक्त फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 को टेण्डर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 15.05.2023 को सीएलपीसी की मिटिंग जिसमें प्रबन्ध निदेशक जेवीवीएनएल, निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन, अति मुख्य अभियन्ता (PPM) एवं अधीक्षण अभियन्ता (TW) सदस्य थे। उक्त कमेटी ने फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 की धरोहर राशि लौटाने का निर्णय लिया जाकर फर्म को धरोहर राशि लौटा दी गई। जिसकी शिकायत होने पर विभाग द्वारा एक अन्य उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई। जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, सचिव (प्रशासन) जयपुर डिस्कॉम, निदेशक वित्त प्रसारण निगम एवं निदेशक तकनीकी जयपुर डिस्कॉम सदस्य थे। उक्त कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि. की जो धरोहर राशि लौटाने का कार्य आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के अनुरूप नहीं था, साथ ही फर्म द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लघंन किया गया। जिसके लिए फर्म की धरोहर राशि जब्त की जानी चाहिए थी एवं फर्म को आगामी 03 वर्ष तक टेण्डर प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार विभाग द्वारा दिनांक 27.7.2023 को राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जेपीडीसी जयपुर, टोंक, कोटा, बारां, दौसा, करौली एवं बून्दी जिला में 33/11 केवी जीएसएस और सम्बद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के सिविल वर्क के सर्वे, डिजाईन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एवं 10 साल का ऑपरेशन एण्ड मेंटिनेन्स के कार्य के लिए टेण्डर संख्या 545 एवं 546 के अन्तर्गत 20 और 22 जीएसएस हेतु एनआईटी आमंत्रित की गई। उक्त दोनों टेण्डरों में एक ही फर्म मैसर्स आरसी एन्टरप्राईजेज ने भाग लिया था। जिसकी तकनीकी बिड (बोली) दिनांक 11.09.2023 को खोली गई। तत्पश्चात् दिनांक 21.09.2023 को वित्तीय बिड खोली गई। तत्पश्चात् दिनांक 22.09.2023 को (सीएलपीसी) कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी जिसमें प्रबन्ध निदेशक जेवीवीएनएल, निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन एवं अति0 मुख्य अभियन्ता (MM) सदस्य थे। उक्त कमेटी की मिटिंग में दिए गए दिशा निर्देशानुसार बिड मुल्यांकन कमेटी गठित की

गई, जिसमें निदेशक लेखा अध्यक्ष, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन, अति0 मुख्य अभियन्ता (MM), मुख्य लेखाधिकारी (ओएण्डएम जयपुर जोन) एवं लेखाधिकारी जेसीसी साउथ सदस्य एवं अधीक्षण अभियन्ता (TW) सदस्य सचिव थे। उक्त बिड मुल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट को कार्पोरेट पर्चेज कमेटी के समक्ष मिटिंग दिनांक 4.10.2023 में रखी गई। जिसके अनुसार बिडर के द्वारा उल्लेखित दर करीब 3.1 प्रतिशत टीएन 545 के अन्तर्गत एवं 2.96 प्रतिशत टीएन 546 के अन्तर्गत अधिक बताई गई। इस सीएलपीसी की मिटिंग में बिडर को नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया, जिसमें बिडर ने दरों को 0.80 प्रतिशत कम करने पर सहमति दी। तदानुसार दिनांक 4.10.2023 को सीएलपीसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार फर्म के पक्ष में दिनांक 5.10.2023 को 262.54 करोड एवं 306.62 करोड टीएन 545 एवं 546 में कार्यादेश जारी किये गये। तत्पश्चात् टेण्डर संख्या 545 एवं 546 में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा जांच कर जांच समिति रिपोर्ट दिनांक 18.7.2024 के निष्कर्ष अनुसार टीएन-545 में राशि 109.48 करोड रूपये एवं टीएन-546 में राशि 127.79 करोड रूपये कुल 237.27 करोड रूपये की अधिक राशि का कार्यादेश दिया जाना माना गया। इसी दौरान विभिन्न टीएन के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर उर्जा विभाग द्वारा जांच के लिए कमेटी का गठन किया, जिसमें टीएन-545 व 546 भी शामिल है। इसके अतिरिक्त एजी ऑडिट ने दिनांक 18.2.2025 को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी 226.91 करोड रूपये का अतिरिक्त व्यय होना उल्लेखित किया है। वर्तमान में फर्म मैसर्स आरसी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड पूर्व में आरसी एन्टरप्राईजेज को टीएन 545 एवं 546 के अन्तर्गत जारी कार्यादेशो को दिनांक 9.4.2025 को सीएलपीसी की मिटिंग में विचार किया गया, जिसके अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि फर्म द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाकर जेवीवीएनएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर आरटीपीपी रूल्स 2013 के उल्लंघन किया गया। अतः टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के क्लॉज नं. 36.2.1 (सी) (जीसीसी) के तहत कार्यादेश बर्खास्त के लिए फर्म आरसी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड (पूर्व में आरसी एन्टरप्राईजेज) को जिम्मेदार मानते हुए कार्यादेश निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् सीएलपीसी की मिटिंग दिनांक 13.08.2025 को आयोजित हुई जिसमें सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् फर्म को 3 साल के लिए किसी भी खरीद संस्था द्वारा खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए डीबार किया गया। प्राथमिक जांच की गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान लिये गये रिकॉर्ड बयानात गवाहान एवं उजागर हुए तथ्यों से आरडीएसएस टेण्डर में बूंदी एंव टोंक की निविदा टीएन 534 एवं 535 में फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। फर्म द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंन्स इण्डिया लि0 दिल्ली (टीसीआईएल) दिल्ली ने दिनांक 25.01.2023 को अपने पत्र से फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 द्वारा प्रस्तुत कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं करने बाबत् सूचित किये जाने पर विभाग द्वारा दिनांक 08.02.2023 को सीएलपीसी कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी की मिटिंग में उक्त फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 को टेण्डर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 15.05.2023 को सीएलपीसी की मिटिंग जिसमें श्री आर.एन. कुमावत, प्रबन्ध निदेशक जेवीवीएनएल, श्री के. पी. वर्मा, निदेशक तकनीकी, श्री एस.एम. माथुर, निदेशक वित्त, श्री आर.के. मीना, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन, श्री अनिल गुप्ता, अति मुख्य अभियन्ता (PPM) एवं के.सी. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (TW) सदस्य थे। उक्त कमेटी ने फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि0 की धरोहर राशि लौटाने का निर्णय लिया जाकर फर्म को धरोहर राशि लौटा दी गई। जबकि फर्म द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र दिये जाने पर उक्त फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। परन्तु उक्त कमेटी के अधिकारियों ने फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर्स से मिलीभगत कर अपने-अपने पदों का दुरूपयोग कर आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रुल्स 2013 और निविदा शर्तों के अनुसार फर्जी दस्तावेज देकर धोखाधड़ी सही पाये जाने पर भी फर्म को न तो डिबार किया और ना ही उसकी धरोहर राशि 3.37 करोड़ रुपये जब्त की और धरोहर राशि फर्म को लौटा दी गई। जिससे सीएलपीसी के उक्त सदस्यों स्वयं और फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को सदोष आर्थिक हानि होने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इस प्रकार जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 निविदा संख्या 545 एवं 546 में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा जांच कर जांच समिति रिपोर्ट दिनांक 18.7.2024 के निष्कर्ष अनुसार टीएन-545 में राशि 109.48 करोड रूपये एवं टीएन-546 में राशि 127.79 करोड रूपये कुल 237.27 करोड रूपये की अधिक राशि का कार्यादेश दिया जाना माना गया। इसके अतिरिक्त एजी ऑडिट ने दिनांक 18.2.2025 को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी 226.91 करोड रूपये का अतिरिक्त व्यय होना उल्लेखित किया है। फर्म द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाकर जेवीवीएनएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी रूल्स 2013 का उल्लंघन किया गया। तत्कालीन सीएलपीसी कमेटी के सदस्य श्री आर.एन. कुमावत, प्रबन्ध निदेशक जेवीवीएनएल, श्री के.पी. वर्मा, निदेशक तकनिकी, श्री एस.एम. माथुर, निदेशक वित्त, श्री आर.के. मीना, संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन, श्री अनिल गुप्ता, अति मुख्य अभियन्ता (PPM) एवं के.सी. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (TW) द्वारा आपस में मिलीभगत कर अपने-अपने पदों का दुरूपयोग कर एकल निविदाकर्ता फर्म मैसर्स आरसी एन्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर से आपराधिक षडयंत्र रचकर पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए फर्म के अनुसार फाईनेंशियल क्राईट एरिया शर्तो में बदलाव किया गया और निविदा में

अनुमानित प्रोजेक्ट लागत से कई गुणा अधिक मुल्य लगभग 237 करोड रूपये अधिक का कार्यादेश दिया जाना पाया गया है । जिससे सीएलपीसी के उक्त सदस्यों स्वयं और फर्म मैसर्स आरसी एन्टरप्राईजेज को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को आर्थिक हानि होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री आर.एन. कुमावत, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं श्री अनिल गुप्ता तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर व अन्य एवं मालिक/प्रोपराईटर फर्म मैसर्स एबी इन्टरप्राईजेज लि. एवं फर्म मैसर्स आरसी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड (पूर्व में फर्म मैसर्स आरसी एन्टरप्राईजेज) के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7(c)13(1)(a)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर धारा उपरोक्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय (भूपेन्द्र) अति0पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी), 13(1)(ए),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. में आरोपी श्री रामनिवास कुमावत (आरएन कुमावत) पुत्र श्री बी0एल0 कुमावत निवासी 72/20, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर हाल सेवानिवृत एवं श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री प्रणवीर प्रसाद गुप्ता निवासी 70, मोहन नगर, कस्तूरबा नगर, निर्माण नगर जयपुर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर हाल सेवानिवृत एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 714 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 506-11 दिनांक 18.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर 2- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, 3- अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवादी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जांच संख्या 21/2025) । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Abhishek Pareek **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2026 16:32:14

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1958				
2	Male	1964				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)